[2022] 19 एस. सी. आर. 202

/

[2022] 19 एस सी आर।

/

राजपाल सिंह

बनाम

एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से सरोज (निर्णय लिया गया)। (2022 की सिविल अपील संख्या 3489)

/

18 मई, 2022

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

विशिष्ट प्रदर्शनःबिक्री के लिए समझौता-बिक्री विलेख का रद्द करना-सीमा अवधि-उत्तरदाता नहीं। 2-मूल मालिक अपनी कृषि भूमि को बिक्री पर विचार के लिए अपीलकर्ता-खरीदार को बेचने के लिए सहमत हो गया-बिक्री विलेख के निष्पादन से पहले, प्रतिवादी नं. 2 प्रत्यर्थी के विरुद्ध सं। 2 जिसके द्वारा उसे भूमि का स्वामी घोषित किया गया था, हालाँकि, यह अपीलार्थी के ध्यान में नहीं लाया गया था और न ही राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन हुआ था-इसके बाद, प्रतिवादी नं। 2 अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख और उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था-अपीलार्थी कब्जे में रहा और तब से भूमि पर खेती कर रहा है-5 वर्षों के बाद, प्रत्यर्थी नं. 2 ने उसके द्वारा प्राप्त घोषणात्मक डिक्री के आधार पर सूट संपत्ति के संबंध में बिक्री विलेख को रद्द करने का अनुरोध करते हुए एक मुकदमा दायर किया-निचली विचारण न्यायालय ने यह घोषणा करते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री विलेख अवैध था और प्रतिवादी सं। 2 जब उसने अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया तो भूमि पर उसका कोई अधिकार नहीं था-हालाँकि, पहले अपील ने डिक्री को दरकिनार कर दिया-अपील में, उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल कर दिया-अपील पर कहा गयाःप्रत्यर्थी की पत्नी द्वारा दायर बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए मुकदमा सं. 2 को विधि द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया था क्योंकि इसे बिक्री विलेख की जानकारी की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दायर करने की आवश्यकता थी-कब्जे के लिए राहत एक परिणामी प्रार्थना है और मूल प्रार्थना बिक्री विलेख को रद्द करने की थी और इस प्रकार, सीमा अवधि पर दावा की गई मूल राहत के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है न कि परिणामी राहत-जब बिक्री विलेख को रद्द करने के साथ-साथ कब्जे की

वसूली के लिए समग्र मुकदमा दायर किया जाता है, तो सीमा अवधि को बिक्री विलेख को रद्द करने की मूल राहत के संबंध में विचार किया जाना है, जो कि बिक्री विलेख की जानकारी की तारीख से तीन साल होगी।

/

/

/

/

/

/

202

203

एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से राजपाल सिंह बनाम सरोज (निर्णय)।

रद्द-प्रत्यर्थी की पत्नी द्वारा दायर मुकदमा सं. 2 बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए, इसे एक मूल कहा जा सकता है, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित किया गया था-इसलिए, मुकदमे को सीमा के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था-अपीलार्थी को एक प्रामाणिक खरीदार कहा जा सकता है और यह कि प्रत्यर्थी की पत्नी द्वारा प्राप्त डिक्री नं। 2 एक मिली-जुली डिक्री थी-जब प्रतिवादी की पत्नी नं। 2 ने मिलीजुली डिक्री प्राप्त की, अपीलार्थी के पक्ष में बेचने के लिए पहले से ही एक समझौता था और बाद में अपीलार्थी ने पूरी शेष बिक्री पर विचार का भुगतान किया, जिसे प्रतिवादी सं। 2-उच्च न्यायालय इन सभी पहलुओं पर विचार करने में विफल रहा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है और पहले अपीलीय न्यायालय का मुकदमा बहाल कर दिया जाता है और प्रतिवादी नं. 2 को खारिज कर दिया जाता है-सीमा।

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 3489।

/

2009 (ओ एंड एम) के आर. एस. ए. No.4594 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।अंकुर मित्तल, सुश्री निधि मित्तल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

रुद्र प्रताप, तल्हा ए. रहमान, श्याम डी. नंदन, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. पंजाब और हरियाणा उच्च विचारण न्यायालय द्वारा 2009 की दूसरी अपील संख्या 4594 में चंडीगढ़ में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च विचारण न्यायालय ने मूल वादी द्वारा की गई उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया है और प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे का आदेश देने वाले निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है और खारिज कर दिया है और विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल कर दिया है, जिसमें बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे को खारिज कर दिया गया है, मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः- 2.1 कि यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 2-मूल प्रतिवादी संख्या 2 कृषि भूमि की प्रकृति में होने के कारण प्रश्न संपत्ति का मालिक था।मूल मालिक-मूल प्रतिवादी संख्या 2 दर्ज किया गया

/

प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न
प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न
प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न
प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न
प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न

प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न 115, 000/-।बिक्री विलेख को निष्पादित करने का समय मूल प्रतिवादी संख्या 1-बिक्री विलेख के निष्पादक-मूल मालिक के अनुरोध के कारण लिखित रूप में दो बार बढ़ाया गया था।

/

2.2 यहाँ अपीलार्थी के मामले के अनुसार-मूल प्रतिवादी संख्या 1, मूल प्रतिवादी संख्या 2 और मूल वादी (पति और पत्नी) ने साजिश रची।मूल वादी-बेचने के समझौते के निष्पादक की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ घोषणा (बिना किसी परिणामी राहत की मांग के) के लिए एक सांठगांठ वाला मुकदमा दायर किया-मूल प्रतिवादी नं। 2 1994 का दीवानी मुकदमा सं. 1643 है।उक्त मुकदमा इस आधार पर दायर किया गया था कि कुछ कथित पारिवारिक समझौते के अनुसार, प्रश्न संपत्ति मूल वादी-पत्नी के हिस्से में आ गई थी।हालांकि, कोई पारिवारिक समझौता रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था।

/

2.3 उक्त सांठगांठ वाले मुकदमे में, पति-मूल प्रतिवादी संख्या 2 (अपीलार्थी के पक्ष में बेचने के समझौते के निष्पादक) ने सब कुछ स्वीकार करते हुए लिखित बयान दायर किया और वर्तमान मामले में अपनी पत्नी-मूल वादी के पक्ष में एक डिक्री के लिए प्रार्थना की।नतीजतन, 01.02.1995 पर घोषणा का आदेश पारित किया गया।उक्त आदेश न तो उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत था और न ही राजस्व अभिलेख में किसी भी प्रविष्टि को कभी परिवर्तित किया गया था।इसलिए, इसमें अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी संख्या 1 को अंधेरे में रखा गया था क्योंकि सब कुछ उसकी पीठ के पीछे हुआ था।

/

/

2.4 दिनांक 04.04.1993 के बिक्री समझौते के बल पर, मूल प्रतिवादी संख्या 2-मूल मालिक ने यहाँ अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख को निष्पादित किया-19.04.1996 पर मूल प्रतिवादी संख्या 1।परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन किए गए और साथ ही 31.05.1996 पर तुरंत अपीलार्थी का नाम दर्ज किया गया। इसमें अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी संख्या 1 तब से प्रश्न कृषि भूमि पर कब्जा और खेती कर रहा था।2.5 अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख से लगभग पाँच साल बाद, मूल वादी (मूल मालिक की पत्नी) ने वर्तमान मुकदमा दीवानी मुकदमा दायर किया। सं. 419/2007 दिनांकित बिक्री विलेख को रद्द करने और कब्जे की राहत की मांग करते हुए, दिनांकित मिली-जुली डिक्री के आधार पर अपने अधिकार का दावा करते हुए।

/

/

/

205

एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से राजपाल सिंह बनाम सरोज (निर्णय)। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

2.6 मुक़दमे का यहाँ अपीलार्थी द्वारा विरोध किया गया था-मूल प्रतिवादी संख्या 1।मूल प्रतिवादी संख्या 2-यहाँ प्रतिवादी संख्या 2-दिनांकित 19.04.1996 पंजीकृत बिक्री विलेख के मूल निष्पादक ने जानबूझकर किसी भी लिखित बयान में उपस्थित होने या दाखिल करने का विकल्प नहीं चुना।यह पूरी तरह से मूल वादी (पत्नी) और मूल प्रतिवादी संख्या 2 (पति) के बीच दिनांकित मिली-जुली डिक्री के आधार पर, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने निर्णय और दिनांकित आईडी 2 के डिक्री के माध्यम से मुकदमे का फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि 1994 के दीवानी मुकदमे में दिनांकित आईडी 1 को देखते हुए, जिस दिन मूल प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलकर्ता के पक्ष में दिनांकित आईडी 3 के पंजीकृत बिक्री विलेख को निष्पादित किया था-मूल प्रतिवादी संख्या 1, उसका कोई अधिकार नहीं था और इसलिए, अपीलकर्ता के पक्ष में दिनांकित आईडी 3 का बाद का पंजीकृत बिक्री विलेख अवैध और अमान्य है।

/

/

2.7 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।दिनांक 31.07.2009 के एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय ने उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया और विद्वान विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को गुण-दोष के साथ-साथ इस आधार पर खारिज कर दिया कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इससे पहले और वादी और मूल प्रतिवादी संख्या 2 (पति और पत्नी) द्वारा की गई धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के बारे में जानने के बाद, अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 420 और 120 बी के अंतर्गत अपराध के लिए एक शिकायत मामला दर्ज किया था और यह लंबित बताया गया है।

/

/

2.8 प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल वादी (पत्नी) ने अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष वर्तमान दूसरी अपील दायर की।आक्षेपित

निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च विचारण न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश ने उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया है और प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल कर दिया है जिसमें मूल वादी द्वारा पसंद किए गए मुकदमे का आदेश दिया गया है और यह घोषणा की गई है कि मूल प्रतिवादी संख्या 2 (मूल मालिक-पति) द्वारा निष्पादित अपीलार्थी के पक्ष में दिनांकित 19.04.1996 का पंजीकृत बिक्री विलेख अमान्य है।

/

/

2.9 दूसरी अपील की अनुमति देने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना और

/

विद्वान प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अपास्त करते हुए करते हुए और रद्द करते हुए और विद्वान विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को बहाल करते हुए, खरीदार-इसमें अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अंकुर मित्तल ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी मूल वादी के साथ-साथ मूल प्रतिवादी संख्या 2 (पत्नी और पति) द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार है।

/

3.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मूल वादी-पत्नी के पक्ष में मिली-जुली डिक्री प्राप्त करने के बाद, मूल मालिक-पति ने 1994 के सिविल सूट No.1643 में पारित किसी भी डिक्री के बारे में अपीलार्थी को खुलासा किए बिना अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख को पूरा बिक्री विचार, यानी रु. 1,15,000 लेकर निष्पादित किया।

/

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है किः-

/

(i) अपीलार्थी धोखाधड़ी का शिकार होता है;

((ii) कि मूल वादी ने 1994 के सिविल सूट No.1643 में अपने पक्ष में एक मिलीजुली डिक्री प्राप्त की और डिक्री मूल मालिक द्वारा किसी भी प्रतिस्पर्धा के बिना थी;

/

(iii) कि 1994 के सिविल सूट No.1643 में मिलीजुली डिक्री तथाकथित पारिवारिक समझौते के आधार पर प्राप्त की गई थी, जो कभी भी रिकॉर्ड पर नहीं आई;

(iv) कि 1994 के सिविल सूट No.1643 में दिनांकित 01.02.1995 मूल डिक्री प्राप्त करने के बाद भी, न तो इसे उप-पंजीयक के कार्यालय के समक्ष पंजीकृत किया गया था और न ही राजस्व रिकॉर्ड में कोई उत्परिवर्तन प्रविष्टि की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद मूल वादी के मूल मालिक-मूल प्रतिवादी संख्या 2-पति ने रुपये के पूर्ण बिक्री विचार को स्वीकार करते हुए दिनांकित 19.04.1996 के बिक्री विलेख को निष्पादित किया।

/

/

(v) कि तुरंत अपीलार्थी को कब्जे में ले लिया गया और तब से वह विचाराधीन भूमि पर कब्जा कर रहा है और खेती कर रहा है;

/

207

एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से राजपाल सिंह बनाम सरोज (निर्णय)। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

(vi) कि अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख के तुरंत बाद, इसे 31.05.1996 पर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तित कर दिया गया था और इसके बावजूद, वर्तमान मुकदमा पांच साल की अवधि के बाद दायर किया गया है, जो सीमा की अवधि से परे है, यानी तीन साल।

/

3.3 इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब साक्ष्य की सराहना पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया और परिणामस्वरूप वाद को खारिज कर दिया, तो दूसरी अपील का निर्णय लेते समय बहुत सीमित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी।

/

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।

4. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रुद्र प्रताप ने वर्तमान अपील का विरोध किया है।

/

इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल वादी (पत्नी) और मूल प्रतिवादी संख्या 2 (पति) के उत्तराधिकारियों का प्रतिनिधित्व एक ही वकील द्वारा किया जाता है।इस स्तर पर, यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल प्रतिवादी संख्या 2 ने कभी भी मुकदमे का विरोध नहीं किया और/या लिखित बयान दायर नहीं किया।

/

4.1 प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रुद्र प्रताप ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च विचारण न्यायालय ने प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अपास्त करते हुए करने और रद्द करने और विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

/

4.2 प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया कि उस समय जब मूल प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख को निष्पादित किया था, 1994 के दीवानी मुकदमा संख्या 1643 में मूल वादी-पत्नी के पक्ष में पारित डिक्री को देखते हुए उसका कोई वैध अधिकार नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब यह पाया गया कि अपीलार्थी के पक्ष में दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसका कोई अधिकार नहीं था, तो वह अमान्य था और इसलिए, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने ठीक ही कहा।

/

/

/

[2022] 19 एस सी आर।

अपीलार्थी के पक्ष में दिनांकित 19.04.1996 के पंजीकृत बिक्री विलेख को अमान्य घोषित करते हुए घोषणा के लिए वाद का आदेश दिया।

4.3 अब, जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत करने का संबंध है कि वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वाद में, मूल वादी ने कब्जे की राहत के लिए भी अनुरोध किया था।यह तर्क दिया जाता है कि कब्जे की राहत के लिए मुकदमा बारह साल की अवधि के भीतर दायर किया जा सकता है।इसलिए, चूंकि मुकदमा बारह साल की अवधि के भीतर दायर किया गया था और इसे सीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है।

/

4.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

/

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।

6. मूल वादी ने सिविल सूट सं. 419/2007 की स्थापना की जिसमें उसने 1994 के सिविल सूट No.1643 में प्राप्त डिक्री के आधार पर सूट संपत्ति के संबंध में दिनांकित 19.04.1996 के बिक्री विलेख को रद्द करने का दावा किया।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल वादी द्वारा 1994 के सिविल सूट No.1643 के रूप में दायर किए गए पहले के उक्त मुकदमे में, जो उसके पति-मूल प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ दायर किया गया था, मूल प्रतिवादी संख्या 2-मूल भूमि मालिक द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया था और लिखित बयान में, उसने शिकायत में बताई गई हर बात को स्वीकार किया और जिसके आधार पर मूल वादी के पक्ष में 01.02.1995 पर डिक्री पारित की गई।यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 1994 के पूर्ववर्ती दीवानी मुकदमे में मूल वादी की ओर से मामला एक कथित पारिवारिक व्यवस्था पर आधारित था, जिसे कभी भी न्यायालय के समक्ष और/या उसके बाद भी पेश नहीं किया गया था।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इससे पहले, मूल प्रतिवादी संख्या 2-मूल वादी के पति दिनांक 04.04.1993 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित बेचने के लिए पहले से ही एक समझौता था और बिक्री विलेख को निष्पादित करने का समय मूल प्रतिवादी संख्या 2-मूल मालिक द्वारा 02.04.1994 और 01.04.1995 पर किए गए अनुरोधों पर लिखित रूप में दो बार बढ़ाया गया था।दिनांक 04.04.1993 को बेचने के लिए उपरोक्त समझौते के बाद और पहले विस्तार के बाद, मूल वादी ने 1994 का सिविल सूट No.1643 होने के नाते उपरोक्त सांठगांठ वाला मुकदमा दायर किया और दिनांक 01.02.1995 की सांठगांठ वाली डिक्री प्राप्त की।

/

/

/

/

/

209

एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से राजपाल सिंह बनाम सरोज (निर्णय)। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

इसके बाद, दिनांक 4 को बेचने के समझौते के बल पर और 1994 के सिविल सूट 1 में उसके खिलाफ पारित डिक्री का खुलासा किए बिना, मूल प्रतिवादी नंबर 2-मूल वादी के पति-मूल भूमि मालिक ने दिनांक 2 को पंजीकृत बिक्री विलेख को निष्पादित किया और शेष बिक्री पर विचार को स्वीकार कर लिया।परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेख में भी आवश्यक परिवर्तन किए गए, जिसमें मूल प्रतिवादी संख्या 1-अपीलार्थी का नाम वर्ष 1996 में ही दर्ज किया गया था।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1994 के सिविल सूट No.1643 में दिनांकित 01.02.1995 डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।यह रिकॉर्ड में भी आया है और यहां तक कि जैसा कि वर्तमान मुकदमे में मूल वादी द्वारा स्वीकार किया गया है, अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी संख्या 1 1996 से भूमि पर कब्जा और खेती करना जारी रखा और उपरोक्त के बावजूद उसने दिनांकित बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर किया, जो अपीलकर्ता के पक्ष में था-मूल प्रतिवादी संख्या 1 जिसे उसके पति द्वारा वर्ष 2001 में निष्पादित किया गया था-मूल प्रतिवादी संख्या 2।

/

/

/

इसलिए, सिविल मुकदमा संख्या 419/2007 में मूल वादी द्वारा दायर बाद के वर्तमान मुकदमे को सीमा विधि द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित कहा जा सकता है।बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग करने वाला मुकदमा बिक्री विलेख की जानकारी की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दायर किया जाना आवश्यक था।इसलिए, जब यहाँ अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वर्ष 1996 में पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 1 के आधार पर राजस्व अभिलेख में परिवर्तित किया गया था और जब वह तब से भूमि पर कब्जा और खेती कर रहा था, तो मूल वादी द्वारा 1996 से तीन साल की अवधि के भीतर मुकदमा दायर करने की आवश्यकता थी।मूल वादी

(अब उसके उत्तराधिकारियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया गया है) की ओर से यह निवेदन कि मुकदमे में प्रार्थना भी कब्जे की वसूली के लिए थी और इसलिए उक्त मुकदमा बारह साल की अवधि के भीतर दायर किया गया था और इसलिए मुकदमा दायर किया गया है।कब्जा के लिए राहत एक परिणामी प्रार्थना है और मूल प्रार्थना दिनांकित बिक्री विलेख को रद्द करने की थी और इसलिए, सीमा अवधि पर दावा की गई मूल राहत के संबंध में विचार किया जाना आवश्यक है न कि परिणामी राहत के संबंध में।जब बिक्री विलेख को रद्द करने के साथ-साथ कब्जे की वसूली के लिए एक समग्र मुकदमा दायर किया जाता है, तो बिक्री विलेख को रद्द करने की पर्याप्त राहत के संबंध में सीमा अवधि पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जो बिक्री विलेख की जानकारी की तारीख से तीन साल होगी।

/

/

/

/

रद्द कर दिया गया।इसलिए, बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए मूल वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे को एक मूल कहा जा सकता है, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित किया गया था।अतः विद्वत विचारण विचारण न्यायालय को मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर देना चाहिए था कि मुकदमा सीमितता से वर्जित था।इस प्रकार विद्वत प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए करने और परिणामस्वरूप वाद को खारिज करने में न्यायसंगत और सही था।उच्च विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज करते हुए प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक सुविचारित और विस्तृत निर्णय और आदेश अपास्त करते हुए करने और रद्द करने में गंभीर त्रुटि की है और इसके परिणामस्वरूप विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल किया है।

/

/

7. यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और इस पर विचार नहीं किया है कि इसमें अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी संख्या 1 को एक प्रामाणिक

खरीदार कहा जा सकता है और 1994 के पहले के दीवानी मुकदमे में मूल वादी द्वारा प्राप्त डिक्री एक मिलीजुली डिक्री थी और सब कुछ अपीलार्थी के पीछे किया गया था-मूल प्रतिवादी संख्या 1।पैसे को जेब में डालने और पूर्ण बिक्री विचार प्राप्त करने के बाद, मूल प्रतिवादी संख्या 2 ने वर्तमान मुकदमे को नहीं लड़ा और अब वर्तमान अपील में, मूल वादी के उत्तराधिकारियों के साथ-साथ मूल प्रतिवादी संख्या 2 दोनों का प्रतिनिधित्व वर्तमान अपील को चुनौती देने वाले एक ही अधिवक्ता द्वारा किया जाता है।जो भी हो, जब मूल प्रतिवादी संख्या 2 (मूल भूमि मालिक) की मूल वादी पत्नी ने 1994 के दीवानी मुकदमे में मिलीजुली डिक्री प्राप्त की, तो इसमें प्रश्न कर्ता के पक्ष में बेचने के लिए पहले से ही एक समझौता था-मूल प्रतिवादी संख्या 1 जिसके द्वारा मूल मालिक-मूल प्रतिवादी संख्या 2,000/- को समझौते के समय वास्तविक धन के रूप में भुगतान किया गया था और बाद में इसमें प्रश्न कर्ता-मूल प्रतिवादी संख्या 1,000 ने पूरी शेष बिक्री का भुगतान किया, जिसे वादी के मूल प्रतिवादी संख्या 2-पति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, उच्च न्यायालय ने दूसरी प्रश्न को स्वीकार करने में गलती की है।इन सभी पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है, जिन पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार किया गया था।उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि मुकदमा सीमितता से वर्जित था या नहीं, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था।इन परिस्थितियों अंतर्गत , उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

/

/

/

/

/

211

एल. आर. एस. और ए. एन. आर. के माध्यम से राजपाल सिंह बनाम सरोज (निर्णय)। [एम. आर. शाह, जे.]

/

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। 2009 की दूसरी अपील संख्या 4594 में पारित उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप मूल वादी द्वारा दायर वाद खारिज हो जाता है।

/

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः बोधि रामटेके, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/